अति महत्वपूर्ण

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनसंरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

निदेशक / वन संरक्षक, (नाम से)
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषयः–चमोली के अन्तर्गत बुगीधार–मेहलचौरी–बछवावाण मोटर मार्ग के कि0मी0 256 है0 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण। **FP/UK/ROAD/10762/2015**

महोदय,

प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार द्वारा दी गयी बिन्दुओं पर सूचना माँगी गई थी। परन्तु आपके स्तर से उन इन बिन्दुओ के स्थान पर कुछ और ही सूचना आनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। इस समबन्ध में सूचित करना है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पार्ट ।। में सही सूचना अपलोड करे बिना ही प्रस्ताव को अग्रसारित किया जा रहा है। जिसके क्रम में उक्त प्रकरण को इस कार्यालय द्वारा सूचना पूर्ण रूप से दिये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा बार बार वापस लोटाया जा चुका है। परन्तु फिर भी न तो प्रयोक्ता एजेन्सी / प्रभागीय वनाधिकारी एवं आपके द्वारा इस और ध्यान न देकर मात्र एक औपचारिक्ता निभाते हुए सूचना इस कार्यालय का अग्रेसारित की जा रही है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है, आपको कई बार भारत सरकार द्वारा लगाई गई निम्नलिखित, कमियों के निराकरण हेतु आनलाईन पत्र भेजा जा चुका है। परन्तु फिर भी आपके द्वारा आपत्तियों का निराकरण किये बिना ही प्रस्ताव को पुनः मात्र औपचारिकता निभाते हुए इस कार्यालय को अग्रासारित किया गया है जो कि घोर लापरवाही का सूचक है। भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों की सूचना पूर्ण रूप से उपलब्ध न कराये जाने के कारण घोर अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है, तथा प्रकरणो को वापस लौटाया जा रहा है। कृपया भविष्य में यह सुनिचित किया जाए की भारत सरकार / इस कार्यालय द्वारा वान्छित बिन्दुओं की पूर्ण बिन्दुवार सूचना उपरोक्त उलिखित के अनुसार ही इस कार्यालय को अग्रसारित करने का कष्ट करे।

अतः भारत सरकार द्वारा चाहे गये बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना आपके द्वारा किस पार्ट के किस कॉलम के किस स्थान में अपलोड की गई है, की स्पष्ट सूचना ऑनलाईन उपलब्ध कराते हुये हार्ड प्रति में भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। भारत सरकार द्वारा वान्छित सूचना पुनः संलग्न की जा रही है।

1- In reply to point No-1 of EDS dated 24-05-2016 and point No-6 of EDS dated 18-05-2016. it is mentioned that the 434.32ha CA has been done prior to 2008 against 1031.955ha of forest land diverted which is not the correct reply of the query. As per data given in para-14 of online part II. The CA Stipulated (434.32ha) is not commensurate to the forest land diverted (1031.955ha) . Logically, CA stipulated should be double the area of forest land diverted. any mismatch between the CA stipulated and the forest land diverted is required to be clarified suitably.

2- In reply to point No-1 of EDS dated 24-05-2016 and point No-7 of EDS dated 18-05-2016 it is mentioned that the density has been recalculated but, the densit is mentioned as 0.2 instead of 0.3 in the NPV calculation sheet attached with the reply.

3- Tree enumeration in part II included tree to be felled on naap land also should be revised for trees on forest land only. 3.29.1 of cost benefit analysis should be filled as per guideline.

4- In reply to point no-1 of EDS dated 24-05-2016 and point No-8 of EDS dated 18-05-2016. the reply of PCCF & Nodal Officer is not understandable. Furhter, the DFO has mentioned that the same has been corrected but, the working plan prescription are still not given in para-5 of online part II in respect of 2.38ha of RF land proposed for diversion.

5- In reply to point No-1 of EDS dated 24-05-2016 and point No-9 of EDS dated 18-05-2016, it is mentioned that an estimate of Rs. 35.00lacs has been prepared to stop soil erosion but, the details of mitigative measure to be implemented has not been submitted/ attached with the reply.

6- In reply to point No-1 of EDS dated 24-05-2016 & point N0-10 of EDS dated 18-05-2016, it is mentioned that the land required for the road is Civil land panchayat land and the affect of Leopard etc is negligible in the area Construction of road will have any special impact. But, it is seen from para-2 of online Part II that 2.38ha of Reserve Forest land is also involved in the proposal which is contradictory to the reply given above.

7- The reply of point No-2 of EDS dated 24-05-2016.has not been submitted by the State Govt, wherein it was informed tat the DSS analysis of thearea proposed for CA revealed that 1.00ha area is falling in very dense forest which is not considered suitable for CA. State Govt. was asked to change the 1.00ha area proposed for CA in some other suitable area.

पत्रांक 351 / 12-1 दि० 24/07/2017

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग को प्रेषित । प्रकरण में प्रत्येक बिन्दु पर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण बिन्दुवार प्रत्युत्तर में देना सुनिश्चित करें ।

अग्रसित

प्रशासनिक अधिकारी
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व
गोपेश्वर